भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2330

दिनांक 09.08.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

खुले में शौच से मुक्त के संबंध में 'वॉश रिपोर्ट'के दावे

2330. श्री संजय सिंह:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2019 में भारत के खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) होने के संबंध में सरकार के दावों के विपरीत, 'वॉटर सैनिटेशन एंड हेल्थ (वॉश) रिपोर्ट, 2021' के अनुसार देश में कुल आबादी का 15 प्रतिशत खुले में शौच करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बनाए गए शौचालय जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं अथवा अधूरे हैं और कुछ शौचालयों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संयुक्त निगरानी कार्यक्रम (जेएमपी) की रिपोर्ट यथाशीर्षक 'घरेलू पेयजल, स्वच्छता और साफ-सफाई में प्रगति 2000-2020- एसडीजी में पांच साल' के अनुसार भारत की स्वच्छता की स्थिति निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय स्वच्छता अनुमान (%)	
न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं	71
सीमित सुविधाएं (साझा)	12
सुधार नहीं	2
खुले में शौच	15

जेएमपी पद्धति में इस विषय पर किए गए विभिन्न शोधों और रिपोर्टों से डाटा एकत्र करना और उनका उपयोग करके निष्कर्ष निकालना शामिल है। इनमें से कई सर्वेक्षण और रिपोर्ट बहुत छोटे नमूनों पर आधारित होते हैं और इनमें विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया जाता है और आम तौर पर जमीनी स्थिति को नहीं दर्शाया जाता है। जेएमपी में जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण या अनुसंधान का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए जेएमपी को अधिक से अधिक विभिन्न रिपोर्टों से प्राप्त किए गए अनुमान दिए जाते हैं और यह जमीनी स्तर की स्थिति का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता (एनएआरएसएस) 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 96.4% शौचालय कार्यशील थे जबकि 95.2% ग्रामीण आबादी जिसके पास शौचालय की सुविधा थी, इसका उपयोग कर रहे थे। स्वच्छता मुख्य रूप से एक व्यवहारगत विषय है। खुले में शौच को रोकने और निरन्तर आधार पर सुरक्षित स्वच्छता आदतों को अपनाने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] के तहत, सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) तथा अंतर वैयक्तिक संप्रेषण (आईपीसी) गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने और सुरक्षित स्वच्छता आदतों के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन पर पर्याप्त जोर दिया गया है। एसबीएम(जी) के तहत, स्वच्छता के लिए समुदाय दृष्टिकोण (सीएएस) पर मुख्य ध्यान दिया गया है, जिसने समुदाय के सामुहिक प्रयासों के माध्यम से गांवों में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) की स्थिति हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कालाजाथा, रैलियों, घर-घर अभियान आदि जैसी कई अन्य आईईसी गतिविधियां भी आयोजित की गई हैं।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समय-समय पर विभिन्न कार्यशालाएं/प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं तथा स्वच्छता, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) तथा साफ-सफाई व्यवहार संबंधी सूचना के प्रचार-प्रसार और देश के नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, दृश्य-श्रव्य तथा मास मीडिया उपकरण, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि जैसे विभिन्न मीडिया अभियानों का उपयोग किया जाता है।

***